न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 33/2023 G.C.M.S. No. 2023/147 दर्ज दिनांक : 18.04.2023

अपीलार्थिगण:

1. मृत भंवरलाल पुत्र अचला के विधिक वारिसान:—
   1/1 शांता देवी पत्नी स्व. भंवरलाल,
   1/2 बाबूलाल उर्फ विष्णु पुत्र स्व. भंवरलाल,
   1/3 प्रेमा पुत्री स्व. भंवरलाल,
   1/4 चन्दा पुत्री स्व. भंवरलाल,
   1/5 संगीता पुत्री स्व. भंवरलाल,
   1/6 मीना पुत्री स्व. भंवरलाल,
   1/7 सीमा पुत्री स्व. भंवरलाल, तमाम जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:—

1. स्वर्गीय हड़मान पुत्र रामा के विधिक उत्तराधिकारी:—
   1/1 पुखराज पुत्र स्व. हड़मान जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी रामदेव मंदिर के पास, सिखवाल मौहल्ला, रामदेव रोड़, पाली (राज.)
   1/2 घनश्याम पुत्र स्व. हड़मान जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ब्राह्मण निवास, बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
   1/3 मुर्लीधर पुत्र स्व. हड़मान जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ब्राह्मण निवास, बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
   1/4 विष्णु पुत्र स्व. हड़मान जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी ब्राह्मण निवास, बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
   1/5 प्रहलाद पुत्र स्व. हड़मान जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी रामदेव मंदिर के पास, सिखवाल मौहल्ला, रामदेव रोड़, पाली (राज.)
   1/6 शोभा पुत्री स्व. हड़मान जी पत्नि प्रकाश नागला, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी रामदेव मंदिर के पास, सिखवाल मौहल्ला रामदेव रोड़, पाली (राज.)
   1/7 सायरी पुत्री स्व. हड़मान जी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी पांडिया जिन्दर, NARSAMPAT रोड़, Near Chintal Bridge Down, नियर वेंकट रमण सिनेमा थियेटर, Narsampat Road, Warangal (तेलंगाना)
2. जगदीश पुत्र गोविन्द, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
3. हीरालाल पुत्र गोविन्द, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी—बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
4. पार्वती पत्नी गोविन्द, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. स्वर्गीय नन्दु पुत्र तारा के विधिक उत्तराधिकारी:–
   5/1 राजेश पुत्र स्व. नन्दू जी, उम्र वयस्क,
   5/2 श्याम पुत्र स्व. नन्दू जी, उम्र वयस्क,
   5/3 अयोध्या पत्नि स्व. नन्दू जी, उम्र वयस्क, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण 15/7/7, बैगम बाजार, कोलसावाडी, हैदराबाद 500012
   5/4 राखी पुत्री स्व. नन्दू जी पत्नि श्री रामदेव नागला, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी 14/4/313 जोशीवाडी के पास, एच.डी.एफ.सी. बैंक, बैगम बाजार, कोलसावड़ी, हैदराबाद 500012
6. स्वर्गीय ओमप्रकाश पुत्र तारा के विधिक उत्तराधिकारी:–
   6/1 दीपक पुत्र स्व. ओमप्रकाश जी, उम्र वयस्क,
   6/2 सुरज पुत्र स्व. ओमप्रकाश जी, उम्र वयस्क,
   6/3 कलादेवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जी, उम्र वयस्क,
   6/4 किरण पुत्री स्व. ओमप्रकाश जी, उम्र वयस्क, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण 15/7/7, बैगम बाजार, कोलसावाड़ी, हैदराबाद 500012
   6/5 संध्या पुत्री स्व. ओमप्रकाश जी पत्नि टिकमचन्द जोशी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी 14/4/284, प्रथम मंजिल जोशीवाड़ी, बैगम बाजार, कोलसावाड़ी, हैदराबाद – 500012
7. प्यारी देवी पत्नी मदन, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
8. स्वर्गीय डुंगरमल पुत्र मदन के विधिक उत्तराधिकारी:–
   8/1 मनोज पुत्र स्व. डुंगरमल जी, उम्र वयस्क,
   8/2 रवि पुत्र स्व. डुंगरमल जी, उम्र वयस्क,
   8/3 सावित्री पत्नि स्व. डुंगरमल जी, उम्र वयस्क, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण 6/12/148 नामदेवड़ा, निजामाबाद (तेलंगाना)
   8/4 गीता पुत्री स्व. डुंगरमल जी पत्नि सन्जु शर्मा, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी 12/5 Northraj मौहल्ला, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
   8/5 शांति पुत्री स्व. डुंगरमल जी पत्नि सुरेश पांडिया, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 1/4/154/155, चौथी मंजिल, मन्नत मनीकटा Paradise Near Kumakshi Temple, कलासीगुड़ा, जनरल बाजार, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)
   8/6 जयश्री पुत्री स्व. डुंगरमल जी पत्नि पंकज ओझा, निवासी मकान नम्बर 14/6/403 गणेश मंदिर, केम्पिस्ट नगर खाना, बैगम बाजार, हैदराबाद (तेलंगाना) 500012
9. स्वर्गीय कमला पत्नी किशन के विधिक उत्तराधिकारी:–
   9/1 राजू पुत्र स्व. कमला पत्नि स्व. किशन, उम्र वयस्क,
   9/2 घनश्याम पुत्र स्व. कमला पत्नि स्व. किशन, उम्र वयस्क, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण 14/8/212, द्वितीय मंजिल, पवन ढाबा, चुडी बाजार, जुमेरात बाजार, हैदराबाद (तेलंगाना) 500012
10. घनश्याम पुत्र स्व. किशन, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी – बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
11. स्वर्गीय माणक पुत्र किशन के विधिक उत्तराधिकारी:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

11/1 राधिका पुत्री स्व. माणक जी पत्नि घनश्याम उपाध्याय, उम्र वयस्क,
11/2 रोशनी पुत्री स्व. माणक जी पत्नि राजु पंडिया, उम्र वयस्क
11/3 सरस्वती पत्नि स्व. माणक जी, उम्र वयस्क,
11/4 ममता पुत्री स्व. माणक जी पत्नि विजय कोलरिया, उम्र वयस्क, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण 14/8/212, द्वितीय मंजिल, पवन ढाबा, चुडी बाजार, जुमेरात बाजार, हैदराबाद (तेलंगाना) – 500012

12. स्वर्गीय अणचाई पत्नी हेमा जी के विधिक उत्तराधिकारी:–
12/1 कन्हैयालाल गौदीपुत्री स्व. अणचाई पत्नि स्व. हेमा जी, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 15/4/129, उस्मानशाही, गोली गुडा चमन, हैदराबाद (तेलंगाना)

13. स्वर्गीय देवा पुत्र गणेश के विधिक उत्तराधिकारी:–
13/1 राजेश पुत्र स्व. देवा, उम्र वयस्क,
13/2 विष्णु पुत्र स्व. देवा, उम्र वयस्क,
13/3 नर्मदा पत्नि स्व. देवा, उम्र वयस्क, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण मकान नम्बर 15/4/129, उस्मानशाही, गोली गुड़ा चमन, हैदराबाद (तेलंगाना) 500012
13/4 जमुना पुत्री स्व. देवा पत्नि महेश उपाध्याय, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी 15/7/84, भगवानगंज, बैगम बाजार, कोलसावाड़ी, हैदराबाद 500012

14. शिवलाल उर्फ शिवनारायण पुत्र भोला, उम्र वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी बागावास, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)

15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत, जिला पाली (राज)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2006 बउनवान भंवरलाल के का.मु. शांतादेवी वगैरह बनाम हड़मान वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री राजेन्द्र मेवाड़ा, श्री प्रेम ओड़, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिनेश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 13/1
3. शेष रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2006 बउनवान भंवरलाल के का.मु. शांतादेवी वगैरह बनाम हड़मान वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 14 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा गांव बागावास तहसील सोजत के खसरा नंबर 535 से 537, 734, 741 से 774, 1022, 1106 से 1108 कुल खसरा 42 रकबा 30.42 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को नोटिस जारी किये बिना पत्रावली को दिनांक 09.06.2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट धाकडी में रखकर बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। लोक अदालत कैम्प के अंतर्गत पक्षकारों के मध्य राजीनामे से संबंधित प्रकरणों को निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय नॉन स्पीकिंग निर्णय की तारीफ में आता है। इसके अलावा यहां यह उल्लेखनीय है कि योग्य अधिन न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में वर्णित विवाधक संख्या 1 लगायत 4 वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित की, फिर भी वादी/अपीलार्थीगण का दावा मात्र तहसीलदार सोजत के एकतरफा प्रार्थना–पत्र के आधार पर वादी/अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना खारिज करने में तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की हैं। प्राथमिक डिक्री दिनांक 9 मई 2014 जारी होने के पश्चात् अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण को कहा कि जब तहसीलदार सोजत व हल्का पटवारी प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके पर नाप–चौक कर प्रस्ताविक बंटवाडा प्रस्ताव योग्य अधिन न्यायालय में भेजेंगे तो तब अपीलार्थीगण को पेशी पर बुलाया लिया जावेगा। तत्पश्चात् तहसीलदार सोजत द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर योग्य अधिन न्यायालय में दिनांक 25.11.2014 को प्रस्तुत किया तथा पत्रावली बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस हेतु नियत की गई। तत्पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर योग्य अधिन न्यायालय से मार्गदर्शन चाहा। इस दौरान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण को कह रखा था कि जब भी अपीलार्थीगण की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी वे पूर्व सूचना देकर बुला लेंगे। परन्तु बाद में अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को बताया गया कि पत्रावली कही गुम हो गई जो मिलने पर बुला लेंगे। जिस कारण अपीलार्थीगण इसी मुगालते में रहे कि जब भी पत्रावली मिलेगी अधिवक्ता अपीलार्थी, अपीलार्थीगण को सूचित कर पेशी पर बुला लेंगे। तत्पश्चात् के दिसम्बर 2022 के द्वितीय सप्ताह में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 14 ने पुनः अपीलार्थीगण के कब्जा मे दखलअंदाजी की तो अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह जी राजपुरोहित से सम्पर्क किया तो उन्होंने योग्य अधिन न्यायालय में तपास कर अपीलार्थीगण को बताया कि अपीलाधीन निर्णय के जरिये अपीलार्थीगण का दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

खारिज कर दिया और जैर अपील निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आगे कार्यवाही करने हेतु कहा, जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता को पूर्व में सूचित नहीं करने हेतु ओलम्बा दिया तो उन्होंने बताया कि पत्रावली नवम्बर 2015 से गुम थी, पेशी में आयी ही नहीं तो वे कैसे बताते। जिस पर अपीलार्थी बाबूलाल उर्फ विष्णु स्वयं सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें निकलवाने हेतु दिनांक 11.02.2023 को नकल आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 27–2–2023 को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त हुई। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त सहखातेदारी आराजी के संबंध में बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को पोषणीय नहीं होने से खारिज कर प्रकरण निर्णित व डिक्री कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 6 वर्ष अर्थात 2190 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 9 मई 2014 जारी होने के पश्चात् अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण को कहा कि जब तहसीलदार सोजत व हल्का पटवारी प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके पर नाप–चौक कर प्रस्ताविक बंटवाडा प्रस्ताव योग्य अधिन न्यायालय में भेजेंगे तो तब अपीलार्थीगण को पेशी पर बुलाया लिया जावेगा। तत्पश्चात् तहसीलदार सोजत द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर योग्य अधिन न्यायालय में दिनांक 25.11.2014 को प्रस्तुत किया तथा पत्रावली बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस हेतु नियत की गई। तत्पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर योग्य अधिन न्यायालय से मार्गदर्शन चाहा। इस दौरान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण को कह रखा था कि जब भी अपीलार्थीगण की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी वे पूर्व सूचना देकर बुला लेंगे। परन्तु बाद में अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को बताया गया कि पत्रावली कही गुम हो गई जो मिलने पर बुला लेंगे। जिस कारण अपीलार्थीगण इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मुगालते में रहे कि जब भी पत्रावली मिलेगी अधिवक्ता अपीलार्थी, अपीलार्थीगण को सूचित कर पेशी पर बुला लेंगे। तत्पश्चात् के दिसम्बर 2022 के द्वितीय सप्ताह में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 14 ने पुनः अपीलार्थीगण के कब्जा मे दखलअंदाजी की तो अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह जी राजपुरोहित से सम्पर्क किया तो उन्होंने योग्य अधिन न्यायालय में तपास कर अपीलार्थीगण को बताया कि अपीलाधीन निर्णय के जरिये अपीलार्थीगण का दावा खारिज कर दिया और जैर अपील निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आगे कार्यवाही करने हेतु कहा, जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता को पूर्व में सूचित नहीं करने हेतु ओलम्बा दिया तो उन्होंने बताया कि पत्रावली नवम्बर 2015 से गुम थीं, पेशी में आयी ही नहीं तो वे कैसे बताते। जिस पर अपीलार्थी बाबूलाल उर्फ विष्णु स्वयं सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें निकलवाने हेतु दिनांक 11.02.2023 को नकल आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 27–2–2023 को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 18.11.2015 को पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.12.2015 को नियत की गई। इसके पश्चात की आदेशिका अंकित नहीं हैं। आगामी आदेशिका दिनांक 03.05.2017 को अंकित की गई। जिसके अंकन अनुसार "रिकॉर्ड जमा कराने हेतु पुराने रेकर्ड के साथ पत्रावली पाई गई जोकि निर्णित नहीं हैं। न ही आदेशिका में निर्णय का उल्लेख है। न ही निर्णय की प्रति पत्रावली में संलग्न है।" के अंकन के साथ पत्रावली आदेशार्थ पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की गई तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2017 को पत्रावली पुनः पेशी दिनांक पर लेने, संबंधित उत्तरदायी दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखने तथा पक्षकारों को सम्मन जारी किए जाने का अंकन किया गया है तथा पत्रावली दिनांक 03.05.2017 को ही लोक अदालत कैम्प धाकड़ी में अंकित करते हुए आगामी तारीख पेशी 09.06.2017 अंकित की गई। दिनांक 09.06.2017 को पक्षकारान को सूचित व नोटिस जारी किए बिना प्रकरण न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट धाकड़ी में उभयपक्षकारान की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किया गया। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली लंबे समय तक नियमित विचारण में नहीं रही तथा वादीगण द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पक्षकारान को सूचित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हुई। जिसकी निर्णय दिनांक से पक्षकारान को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न निहित है। जिसके निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी

कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। विलंबकाल किसी भी दृष्टि से अपीलांट की लापरवाही से नहीं हुआ। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विवाद्यक कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य उपरांत प्रकरण में दिनांक 09.05.2014 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा पत्रावली विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत रही। आदेशिका दिनांक 18.11.2015 को पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.12.2015 को नियत की गई। इसके पश्चात की आदेशिका अंकित नहीं हैं। आगामी आदेशिका दिनांक 03.05.2017 को अंकित की गई। जिसके अंकन अनुसार "रिकॉर्ड जमा कराने हेतु पुराने रेकर्ड के साथ पत्रावली पाई गई जोकि निर्णित नहीं हैं। न ही आदेशिका में निर्णय का उल्लेख है। न ही निर्णय की प्रति पत्रावली में संलग्न है।"के अंकन के साथ पत्रावली आदेशार्थ पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की गई तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2017 को पत्रावली पुनः पेशी दिनांक पर लेने, संबंधित उत्तरदायी दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखने तथा पक्षकारों को सम्मन जारी किए जाने का अंकन किया गया है तथा पत्रावली दिनांक 03.05.2017 को ही लोक अदालत कैम्प धाकड़ी में अंकित करते हुए आगामी तारीख पेशी 09.06.2017 अंकित की गई। दिनांक 09.06.2017 को पक्षकारान को सूचित व नोटिस जारी किए बिना प्रकरण न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट धाकड़ी में उभयपक्षकारान की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किया गया। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नियत होने के बावजूद पक्षकारान को तलब किए बिना, पक्षकारान द्वारा राजीनामा/सहमति निष्पादित किए बिना पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में नियत कर उभयपक्षकारान की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही प्रकरण में पूर्व में प्राथमिक डिक्री पारित की जा चुकी थीं।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2006 बअनवान भंवरलाल के का.मु. शांतादेवी वगैरह बनाम हड़मान वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रों के निस्तारण हेतु अपेक्षित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner